रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 292] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 13/2017-सेवाकर

सा.का.नि. 369(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा सेवाकर नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम सेवाकर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) अन्यथा दी गई बातों को छोड़कर, ये नियम 23 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे।

2. सेवाकर कर नियमावली, 1994 में-

(i) नियम 2 में, उपनियम (1) में, उपवाक्य (घ) में, उपवाक्य (i) में, मद (ईईसी) के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

'' (ईईसी) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में,

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उपवाक्य (26) के अंतर्गत यथा परिभाषित आयातक;",

(ii) नियम 6 में-

(क) उपनियम (7ग) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम, 22 जनवरी, 2017 से अंतस्थापित किया जाएगा:-

"(7गक) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई कर लगने योग्य सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा किए जाने के लिए दायी व्यक्ति को, ऐसी वस्तुओं की लागत, बीमा तथा माल ढुलाई के कुल योग(सीआईएफ) के 1.40 प्रतिशत की दर से गणित धनराशि को अदा करने का विकल्प होगा;"

(iii) उपनियम (7घ) और (7ङ). में, "(7ख) अथवा (7ग)" कोष्ठक, शब्द अथवा अंक जहां कहीं आए, के स्थान पर "(7ख), (7ग) अथवा (7गक)" कोष्ठक, शब्द अथवा अंक, 22 जनवरी, 2017 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 28 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 2/94-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 28 जून, 1994 की सा.का.नि. सं 546(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 30 जनवरी, 2017 को सा.का.नि.सं० 73(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/2017-सेवाकर, दिनांक 30 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 13/2017-Service Tax

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994,namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the 23rd day of April, 2017.

2. In the Service Tax Rules, 1994,-

(i) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (d), in sub-clause (i), for item (EEC), the following shall be substituted, namely:-

"(EEC) in relation to services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, the importer as defined under clause (26) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) of such goods;";

(ii) in rule 6,-

(a) after sub-rule (7C), the following sub-rule shall be inserted with effect from 22nd January, 2017, namely :-

"(7CA) The person liable for paying service tax for the taxable services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, shall have the option to pay an amount calculated at the rate of 1.4% of the sum of cost, insurance and freight (CIF) value of such imported goods."

(b) in sub-rule (7D) and (7E), for the brackets, words and figures "(7B) or 7(C)" wherever they occur, the brackets, word and figures "(7B), (7C) or (7CA)" shall be substituted with effect from 22nd January, 2017."

[F. No. 354/42/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 *vide* number G.S.R. 546 (E), dated the 28th June, 1994 and last amended *vide* notification No. 6/2017-Service Tax, dated the 30th January, 2017 *vide* number G.S.R. 73 (E), dated the 30th January, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 14/2017-सेवाकर

सा.का.नि. 370(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 67(क) की उपधारा (2) और धारा 94 की उपधारा (2) के उपवाक्य (क) और उपवाक्य (जजज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पाइंट आफ टैक्सेशन रूल्ज, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम पाइंट आफ टैक्सेशन (संशोधन) रूल्ज, 2017 है।

(2) ये 22 जनवरी,2017 से लागू होंगे।

2. पाइंट आफ टैक्सेशन रूल्ज, 2011 में, नियम 8(क) के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**8ख गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को दी गई सेवाओं के मामले में कराधान के बिंदु का निर्धारण-** इन नियमों में विहित किसी भी बात के बावजूद कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं के मामले में कराधान का बिंदु, निर्यात के बंदरगाह पर जहाज में ऐसी वस्तुओं की लदाई के बिल की तारीख होगी"

[फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 18/2011-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 1 मार्च, 2011 की सा.का.नि. सं 175(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 को सा.का.नि.सं० 421(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 24/2016-सेवाकर, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 14/2017-Service Tax

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 67A and clause (a) and clause (hhh) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Point of Taxation Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Point of Taxation (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 22nd day of January, 2017.

2. In the Point of Taxation Rules, 2011, after rule 8A, the following rule shall be inserted, namely,–

"**8B. Determination of point of taxation in case of services provided by a person located in non-taxable territory to a person in non-taxable territory**.- Notwithstanding anything contained in these rules, the point of taxation in respect of services provided by a person located in non-taxable territory to a person in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, shall be the date of bill of lading of such goods in the vessel at the port of export.".

[F. No. 354/42/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 18/2011 – Service Tax, dated the 1st of March, 2011 *vide* number G.S.R. 175(E) dated the 1st of March, 2011 and last amended *vide* notification No. 24/2016 - Service Tax dated 13th April, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), by number G.S.R. 421.(E), dated the 13th April, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 15/2017-सेवाकर

सा.का.नि. 371(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि.सं० 472(अ), के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं० 30/2012-सेवाकर में एतदद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण III और IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"स्पष्टीकरण III.– करादेय भू-क्षेत्र में अवस्थित कारोबारी संगठन जो कि वादकर्ता, आवेदक अथवा याचिकाकर्ता जैसा भी मामला हो, है, को वह व्यक्ति माना जाएगा जो कि इस अधिसूचना के आशय से विधिक सेवाएं प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण IV.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए गैर-निर्धारती ऑनलाइन प्राप्तकर्ता'का अर्थ वही है जो सेवा कर नियमावली, *1994* के नियम 2 के उप-नियम 1 के उपवाक्य (गगखक) में इसके लिए दिया गया है।

स्पष्टीकरण V.- इस अधिसूचना के उद्देश्य से गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए सेवा प्रदाता से भिन्न दायी व्यक्ति आयातक होगा जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उपवाक्य(26) में परिभाषित है।"

2. यह अधिसूचना 23 अप्रैल, 2017 से लागू होगी।

[फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 20 जून, 2012 की सा.का.नि. सं 472(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 12 जनवरी, 2017 को सा.का.नि.सं० 26(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/2017-सेवाकर, दिनांक 12 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 15/2017-Service Tax

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 472 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

1. In the said notification, for *Explanation III and Explanation IV*, following shall be substituted, namely:-

"Explanation III.- The business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.

Explanation IV.- For the purposes of this notification, "non-assesse online recipient" has the same meaning as assigned to it in clause (ccba) of sub-rule 1 of rule 2 of Service Tax Rules, 1994.

Explanation V.- For the purposes of this notification, in respect of services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India, person liable for paying service tax other than the service provider shall be the importer as defined under clause (26) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) of such goods.".

2. This notification shall come into force on the 23rd day of April, 2017.

[F. No. 354/42/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 30/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 472 (E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 3/2017-Service Tax, dated the 12th January, 2017 vide number G.S.R. 26 (E), dated the 12th January, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सं. 10/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 372(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा और आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) ये नियम 23 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में-

(1) नियम 2 में, उपवाक्य (ट) में, "इनपुट" सेवा से अभिप्राय से शुरू होने वाले और "हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद की निकासी" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"

"इनपुट सेवा से अभिप्राय"

(i) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान के निर्माता अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तथा उक्त आयातित वस्तुएं उसकी आगत अथवा पूंजीगत वस्तुएं है; अथवा

(ii) निर्गत सेवा प्रदान किए जाने के लिए के निर्गत सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग की गई कोई भी सेवा; अथवा

(iii) निर्माता द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, हटाए जाने के स्थान तक अंतिम उत्पाद के निर्माता और अंतिम उत्पाद की निकासी के संबंध में प्रयोग की गई कोई भी सेवा,'

(2) नियम 4 में, उपनियम (7) के पश्चात, द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-

"बशर्ते यह भी कि गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं जिनमें सेवाकर का भुगतान निर्माता के अथवा निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा इन वस्तुओं के आयातक होने के नाते किया जाता है कि वह उक्त कर लगने योग्य सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति है तो सेवाकर अदा करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट की अनुमति, ऐसे सेवाकर के अदा किए जाने पर की जाएगी;"

(3) नियम 9 में, उपनियम 1 में, खंड (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, यथा-

"(ड.क) गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा किए जाने के लिए दायी व्यक्ति के रूप में वस्तुओं के आयातक होने के नाते निर्माता के अथवा निर्गत सेवाओं के प्रदाता द्वारा सेवाकर के भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला एक चालान; अथवा"

[फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 10 सितंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 10 सितंबर, 2004 की सा.का.नि. सं 600(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 2 फरवरी, 2017 को सा.का.नि.सं० 98(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

No. 10/2017-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : –

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the 23rd day of April, 2017.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004,–

(1) in rule 2, in clause (*l*), for the words starting with '"input service" means' and ending with "clearance of final products upto the place of removal," following shall be substituted, namely,-

'"input service" means,-

(*i*) services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India where service tax is paid by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the said taxable services and the said imported goods are his inputs or capital goods; or

(*ii*) any service used by a provider of output service for providing an output service; or

(iii) any service used by a manufacturer, whether directly or indirectly, in or in relation to the manufacture of final products and clearance of final products upto the place of removal,';

(2) in rule 4, in sub-rule (7), after the second proviso, following shall be inserted namely,-

"Provided also that in respect of services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India where service tax is paid by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the said taxable services, credit of service tax paid by the person liable for paying service tax shall be allowed after such service tax is paid:";

(3) in rule 9, in sub-rule (1), after clause (e), following shall be inserted, namely,-

"(ea) a challan evidencing payment of service tax by the manufacturer or the provider of output service being importer of goods as the person liable for paying service tax for the services provided or agreed to be provided by a person located in non-taxable territory to a person located in non-taxable territory by way of transportation of goods by a vessel from a place outside India up to the customs station of clearance in India; or".

[F. No. 354/42/2016-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004 *vide* number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* notification No. 4/2017 - Central Excise (N.T.) dated 2nd February, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 98 (E), dated the 2nd February, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.17 10:50:16 +05'30'